

xt
8E

(श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता)

Prose

प्रमाणित वनविज्ञान

परियोजना का निर्माण कार्य करया जाना सम्भव नहीं है।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.024996 है 0 निजी वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित निजी वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :-
उत्पद-देहरादून मसूरी स्थित श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता की निजी वन भूमि स्थित श्रीनगर इस्टेट, कैम्पटी-वकरावा रोड, निकट मसूरी इन्टरनेशनल स्कूल, मसूरी में 4118.90 वर्गमीटर भूखण्ड में से कुल 249.96 वर्गमीटर अर्थात 0.024996 है 0 मांग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पूर्वानुमति तथा उक्त से सम्बन्धित प्रत्यावर्तन की स्वीकृति का प्रस्ताव।

78

88

(श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता)
पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
निवासी-फ्लैट नं एच 401, दून टर्फेल्डार,
देहरादून खास, देहरादून।

Handwritten signature in blue ink

भवदीय,

अन्य विकल्प नहीं है।

ग्राहों के पास मसूरी में उक्त ग्राहों के अतिरिक्त कोई अन्य सू-खण्ड नहीं है और ना ही परिवार के रहने के लिए कोई भवन है। अपने स्वामित्व की 4118.90 वर्गमीटर भूखण्ड में से आवासीय भवन के निर्माण हेतु जिस 249.96 वर्गमीटर भूखण्ड का वयन किया गया है, उसमें कोई वृक्ष/वनस्पति नहीं है। अतः मसूरी में अन्य भवन/भूखण्ड उपलब्ध ना होने के कारण उक्त वयनित ग्राहों के अतिरिक्त

प्रमाणित किया जाता है कि निजी वन ग्राहों स्थित श्रीनगर इस्टेट, कैमटी-चकराला रोड, (गंगा) में भरे द्वारा अपने स्वामित्व की कुल 4118.90 वर्गमीटर भूखण्ड पर कुल 249.96 वर्गमीटर अर्थात 0.024996 है 0 में आवासीय भवन निर्माण कार्य हेतु निजी वन घोषित ग्राहों के प्रत्यावर्तन के संबंध में भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित/प्रस्तुत किया जा रहा है।

अन्य विकल्पों पर विचार किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-
जनपद-देहरादून मसूरी स्थित श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता की निजी वन ग्राहों स्थित श्रीनगर इस्टेट, कैमटी-चकराला रोड, निकट मसूरी इन्टरनेशनल स्कूल, मसूरी में 4118.90 वर्गमीटर भूखण्ड में से कुल 249.96 वर्गमीटर अर्थात 0.024996 है 0भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पूर्वानुमति तथा उक्त से सम्बन्धित प्रत्यावर्तन की स्वीकृति का प्रस्ताव।